

अनुबंध - 5(iii)

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2009-10 के अंत की स्थिति के अनुसार)
 (करोड़ रुपये)

श्रेणी	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)	वर्ष के दौरान आवेदित		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट इत्यादि को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	58,668.58 (76)	43,122.24 (60)	15,546.34 (16)	2,891.54 (16)	0.00	0.00	55,777.04 (60)	172.42	57.75	...
2. शेयर पूँजी की वापसी अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी/जुटाए गए बांडों/ऋणों, ऋण पत्रों की वापसी अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	14,239.82 (98)	14,239.82 (98)	0.00	4,964.88 (26)	0.00	0.00	9,274.94 (72)	60.80	13.13	...
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी ऋणदात्री संस्थाओं, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की वापसी अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों, इत्यादि का भुगतान और उधार के आधार पर सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियों हेतु किए गये करारों के लिए भुगतान करने के लिए कंपनियों, निगमों/पत्तन न्यास आदि को प्रदान की गई गारंटियां।	76,897.28 (154)	55,341.63 (141)	21,555.69 (13)	3,517.76 (7)	0.00	0.00	71,787.28 (147)	415.75	368.94	...
4. कंपनियों/निगमों के पक्ष में, उधार के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्तियां/सेवाएं करने के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।	630.96 (10)	630.96 (10)	0.00	10.00 (1)	0.00	0.00	620.96 (9)	32.94	6.10	...
5. कंपनियों/निगमों द्वारा वसूले जाने वाले देयों/भाड़ा प्रभारों का बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए रेलवे/राज्य बिजली बोर्डों को प्रदान की गई गारंटियां।	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

श्रेणी	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)	वर्ष के दौरान आवेदित		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त	
					6	7	8	9	10	11
6. विदेशों में भारतीय कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।	...	...	...	...	...	...	...	1.67	0	...
7. विदेशों में विदेशी कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।	...	...	...	...	...	...	...			
8. अन्य।	...	...	...	...	...	...	...			
कुल जोड़	150,436.64	113,334.65	37,102.03	11,384.18	0.00	0.00	137,460.22	683.58	445.92	...
	(338)	(309)	(29)	(50)			(288)			

कोष्ठकों में आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

टिप्पणी:

- उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड सामंजस्य के कारण परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं।
- वास्तविक गणना (कालम 3+कालम 4-कालम 5-कालम 6) की तुलना में कालम 8 में 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार रोकड़ बाकी में अंतर कालम 3 में वर्ष के शुरु में बकाया के कारण है। इसे गारंटीशुदा विदेशी ऋणों की पूर्व दर पर प्रस्तुत किया जा रहा है जबकि कालम 4, कालम 5, कालम 6 और कालम 8 दिनांक 31.3.2010 की स्थिति अनुसार विनिमय दर पर प्रस्तुत है।
- वर्ष 2009-2010 की गारंटियों का निवल उपचय ₹25717.85 करोड़ (कॉलम 4-5) है जो 2009-2010 के बाजार मूल्यों पर सघट का 0.39 प्रतिशत है।
- दिनांक 31 जनवरी 2011 तक ₹34,190 करोड़ राशि की गारंटियों को वित्त वर्ष 2010-2011 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा वचनबद्ध/अनुमोदित कर दिया गया है।